2017/2110

मनोज सराफ पिता जगदीश सराफ निवासी–जैन मंदिर के पीछे शहडोल तहसील सोहागपुर थाना व जिला– शहडोल म0प्र0 — आवेदक

बनाम

1. श्रीमती सरिता गर्ग पत्नी त्रिलोकी नाथ गर्ग
2. श्रीमती सुनीता तिवारी पति रमेश तिवारी
3. देशपाल रायजादा पिता सत्यपाल रायजादा
4. गजेन्द्र परौहा पिता भुवनेश्वर परौहा सभी निवासी–शहडोल तहसील सोहागपुर थाना व जिला– शहडोल म0प्र0
5. म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान् कलेक्टर महोदय शहडोल के रा.प्र. क्र. 6/स्वमेव निगरानी/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29/05/2017 एवं सहपठित आदेश दिनांक 23/02/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू–रा.सं. 1959

द्वारा आज दि. 6-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :–

निगरानी का संक्षेप

1. यहकि, ग्राम निपनिया, पटवारी हल्का बरूका, तहसील सोहागपुर की आराजी खसरा नं. 238/1 ग रकवा 0.837 हे0 का आवेदक भूमिस्वामी, पट्टेदार, दर्ज रिकार्ड है तथा मौके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं शासकीय अभिलेखों में भी दर्ज रिकार्ड है।
2. यहकि, तहसीलदार सोहागपुर के द्वारा रा.प्र.क्र. 2/अ–5/2011–02 दिनांक 22/12/2001 को आवेदक की भूमि का नक्शा तरमीम करते हुए नक्शे में संशोधन किए जाने का आदेश दिया था। हल्का पटवारी के द्वारा उक्त आदेश के इत्तलाबी न करने के फलस्वरूप पुनः तहसीलदार सोहागपुर के द्वारा 1/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23/01/2017 को दर्ज करने का आदेश दिया जाकर अभिले दुरूस्त कराया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/2110 मनोज विरूद्ध सरिता व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह कलेक्टर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 6/स्व.निग./2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01.3.19 सदस्य	